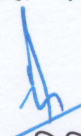


मार्गदर्शिका (Advisory)
स्ट्रे वेकेंसी चरण (एम0बी0बी0एस0 / बीडीएस पाठ्यक्रम)

1. **पात्रता** - समस्त ऐसे एम0पी0 ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम, द्वितीय अथवा मॉप अप चरण से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है।
2. पात्र अभ्यर्थी समय सारणी में दर्शाये गये समयावधि में अपने Candidate login में उपलब्ध च्वाईस फिलिंग लिंक के माध्यम से महाविद्यालय की च्वाईस Submit कर सकते हैं। अभ्यर्थी एक से अधिक उपलब्ध महाविद्यालयों की रिक्त सीटों के विरुद्ध च्वाईस फिलिंग Submit कर सकेंगे।
3. आवेदित अभ्यर्थियों की Real Time choice filled based Merit महाविद्यालयवार पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
4. अभ्यर्थी विभिन्न महाविद्यालयों की च्वाईस फिल्ड रियल टाइम मेरिट के अनुसार जिस महाविद्यालय में प्रवेश का इच्छुक है उसे समय सारणी में दर्शाई गई समय सीमा में अपनी उपस्थिति उस संस्था में Online attendance module पर दर्ज करानी होगी। अभ्यर्थी को केवल एक महाविद्यालय में उपस्थिति (Attendance) दर्ज करने की पात्रता होगी।
5. आवेदित अभ्यर्थियों की Attendance उपरान्त Attendance based Merit के आधार पर पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
6. एमपी ऑनलाईन पोर्टल dme.mponline.gov.in तथा संचालनालय की वेबसाईट medicaleducation.mp.gov.in पर प्रदर्शित मेरिट आधारित Time slot (एडवाईजरी के अंत में संलग्न है) में उल्लेखित समयसीमा के अंदर अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु संस्था में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। निर्धारित Time slot की उल्लेखित समयसीमा के उपरान्त अभ्यर्थी का उस सीट पर प्रवेश का अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
7. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज (अनुसूची-3 मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. शासन की प्रचलित स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) योजनाएँ नियमानुसार लागू रहेंगी।
9. प्रवेश से पूर्व पात्र अभ्यर्थी संस्था का शुल्क मल्टीसिटी चेक, डी0डी0 अथवा ऑनलाईन पद्धति से महाविद्यालय के खाते में जमा करा सकेगा।
10. शुल्क जमा किये जाने के पश्चात पोर्टल से अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जनरेट किया जा सकेगा।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश